झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–650 वर्ष 2006

हरेंद्र कुमार पाण्डेय .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री जय शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री जितेन्द्र पाण्डेय, ए0पी0पी0।

11/तारीख:2 जनवरी, 2023

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 01.08.2006 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, रांची द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा लालपुर थाना काण्ड संख्या 144/2005, जी0आर0 सं0 3758/2005 के तत्सम के संबंध में आरोप तय करने का आदेश पारित किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 22.06.2006 का उन्मोचन आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य सेंट्रल बैंक, लालपुर शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह है कि श्री विजय सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बैंक के समक्ष

3 लाख रूपये का चेक प्रस्तुत किया है, जो सुमित कुमार के पक्ष में था, लेकिन उक्त चेक पहले ड्रॉअर मेसर्स सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खो जाने की सूचना दी गई थी और बैंक से भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया था। उक्त व्यक्ति, विजय सिंह को हिरासत में लिया गया और बाद में याचिकाकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

लिखित रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत लालपुर थाना काण्ड संख्या 144/2005 दर्ज किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में बलि का बकरा बनाया गया है और पूरा मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ गढ़ा गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनाता है। वह अंत में प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उसे बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकार कर दिया गया था।

5. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और आक्षेपित निर्णयों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा आरोपमुक्ति याचिका का अस्वीकार इस आधार पर किया गया था कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप तय करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। इस प्रकार, यह किसी भी अवैधता या दुर्बलता से पीड़ित नहीं है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रारंभिक चरण में अदालत को केवल प्रथम दृष्टया मामले को देखना है। तथ्य का निष्कर्ष पूरी तरह से अभिलेख पर मौजूद सामग्री से निकला है।

7. नतीजतन, तत्काल पुनरीक्षण आवेदन योग्यता से रहित होने के कारण तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

8. इस आदेश की एक प्रति निचली अदालतों को और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से याचिकाकर्ता को भी प्रेषित की जाए।

9. निचली अदालत के रिकॉंड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)